

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री यतीश कुमार विजयवर्गीय, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवलीमांजी, सांगोद जिला कोटा का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डग जिला झालावाड़ किया गया था जिसके विरुद्ध श्री यतीश कुमार विजयवर्गीय द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 809/2021 श्री यतीश कुमार विजयवर्गीय बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 809/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री यतीश कुमार विजयवर्गीय को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए दो सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित होने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोटा/राउमावि पुलिस लाईन, कोटा अथवा राउमावि जाखमुण्ड, तालेड़ा जिला बून्दी में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन करते हुए उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो कि पूर्व के समस्त दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किये गए हैं, में राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित कार्मिकों के आवेदनों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में अपीलार्थी श्री यतीश कुमार विजयवर्गीय, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राबाउमावि डग जिला झालावाड़ का पदस्थापन स्थान संशोधित करते हुए उनका समायोजन राउमावि जाखमुण्ड, तालेड़ा (222273) जिला बून्दी में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारी तत्काल आदेश की पालना कर अवगत करावे।



(सौरभ स्वामी)

आई.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/यतीश कुमार/809/2021/155 दिनांक: ०९.०२.२१

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड़/बून्दी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झालावाड़/बून्दी।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री यतीश कुमार विजयवर्गीय, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राबाउमावि डग जिला झालावाड़।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)